राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः– एफ 11(8)ग्रावि/नरेगा/पदसृजन/2016 जयपुर, दिनांकः 12 FEB 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त, राजस्थान

विषयः–महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक व्यय को निर्धारित सीमा में रखे जाने हेतु दिशा निर्देश।

संदर्भः–इस कार्यालय का परिपत्र दिनांक 06.04.2015 एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्देश दिनांक 05.11.2015 की पालना हेतु जारी पत्र दिनांक 07.12.2015 एवं 22.01.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ मे लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना गें श्रम एंव सामग्री मद पर होने वाले कुल व्यय के 6 प्रतिशत की सीमा में प्रशासनिक व्यय को रखे जाने हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.01.2016 द्वारा अधिक से अधिक रोजगार सृजन, इस वित्तीय वर्ष में अपेक्षित परिणाम नहीं देने वाले संविदा/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही, साप्ताहिक समीक्षा एवं समीक्षा कर एक सप्ताह में अवगत कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

परन्तु आप द्वारा आज दिनांक तक की गई कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया हैं जो अत्यन्त खेदजनक है। अतः तत्काल प्रशासनिक व्यय के नियंत्रण हेतु संविदा/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत Non performing employees के विरूद्ध की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

भवदीय

10/2/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. परि. निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
6. अति. आयुक्त (प्रथम), ईजीएस।
7. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
8. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
10. परियोजना अधिकारी (लेखा), ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

अति.आयुक्त (प्रथम), ईजीएस